रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112026-277863
CG-DL-E-12112026-277863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5881] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2026/कार्तिक 18, 1948
No. 5881] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2026/KARTIKA 18, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2026

का.आ. 6114(अ).— केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि कोई भी जलयान, भारतीय जलयान होने का पात्र तभी होगा जब जलयान में अधिकांश हित निम्नलिखित व्यक्तियों में से एक या अधिक के पक्ष में हो, अर्थात्:

(क) भारत का कोई नागरिक, जिसमें अनिवासी भारतीय या भारत का प्रवासी नागरिक शामिल है;

(ख) किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई कंपनी या निकाय, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या व्यापार का मूल स्थान भारत में हो;

(ग) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या किसी राज्य में सहकारी सोसायटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सहकारी सोसायटी, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या व्यापार का मूल स्थान भारत में हो;

(घ) बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई बहु-राज्य सहकारी सोसायटी, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या व्यापार का मूल स्थान भारत में हो;

(ङ) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या व्यापार का मूल स्थान भारत में हो:

परंतु यह कि जहाँ किसी जलयान में अधिकांश हित किसी अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक के स्वामित्व में हो, वहाँ ऐसे पोत के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति किसी अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति के अध्यधीन होगी, जो भारत में निवासी कोई भारतीय नागरिक होगा, अथवा भारत में निगमित कोई निगम निकाय तथा इसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या व्यापार का मूल स्थान भारत में होगा।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "अधिकांश हित" से जब शेयरों का आधे से अधिक का विधिक हक अभिप्रेत है, जिनमें पोत में संपत्ति विभाजित की जाती है, खंड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में हो।

[फा. सं. एसआर-20020/5/2020-एमएल(iii)]

वेंकटेसपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2026

S.O. 6114(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Central Government hereby notifies that a vessel shall qualify to be an Indian vessel if a majority interest in the vessel is owned by one or more of the following persons, namely: -

(a) a citizen of India including a Non-Resident Indian or an Overseas Citizen of India;

(b) a company or a body established by or under any Central Act or State Act having its registered office or principal place of business in India;

(c) a co-operative society registered or deemed to be registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912), or under any other law for the time being in force relating to co-operative societies in any State, having its registered office or principal place of business in India;

(d) a multi-State co-operative society registered or deemed to be registered under the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002), having its registered office or principal place of business in India;

(e) a Limited Liability Partnership registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), having its registered office or principal place of business in India:

Provided that where the majority interest in a vessel is owned by a Non-Resident Indian or an Overseas Citizen of India, registration of such vessel shall be permitted subject to appointment of an authorised

representative who shall be an Indian citizen resident in India, or a body corporate incorporated in India and having its registered office or principal place of business in India.

Explanation **-** For the purposes of this notification, "majority interest" means when the legal title to more than one-half of the shares into which the property in the vessel is divided, is owned by one or more persons specified in clauses (a) to (e).

[F. No. SR-20020/5/2020-ML (iii)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA